भा0कृ0अ0प0–केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार

नीलामी–सूचना

केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार में होने वाली पशुओं की नीलामी दिनॉक **15.04.2021 को सुबह 11.00 बजे होगी।**

पशुओं का विवरणः

दूध वाली भैंस 25, शुष्क भैंसे 07, झोटी/कट्डिया : 06, झोटे/कट्ड़े: 16

दिनांक 12–13 अप्रैल, 2021 को सुबह 9.30 बजे से सांय 3.00 बजे तक संस्थान में नीलामी वाले पशुओं को देखा जा सकता है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता 10,000/–रूपये की धरोहर राशि **डिमांड ड्राफ्ट/नकद अथवा संस्थान के खाते में** दिनांक 12–13 अप्रैल, 2021 को सुबह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक जमा करवाकर नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। **धरोहर राशि जमा करवाने का अंतिम समय दिनांक 13.04.2021 को सांय 4.00 बजे तक का है।** अन्य शर्तें तथा पशुओं का विवरण संस्थान की वैबसाईट www:cirb.res.in देखा जा सकता है। पशुओं की संख्या घट/बढ़ सकती है।

प्रशासनिक अधिकारी

भा0कृ0अ0प0–केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार

<u>भैंसों की नीलामी हेतु शर्ते</u>

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता अपने आधार कार्ड की प्रति व 10000/–रूपये प्रति पशु की धरोहर राशि जमा करवाकर हिस्सा ले सकेंगे। **जिसने धरोहर राशि जमा करवाई है उसी को संस्थान में प्रवेश करने की अनुमति होगी।**
2. एक धरोहर राशि पर एक ही पशु छुड़वाया जा सकता है। यदि बोलीदाता अधिक पशु लेने का इच्छुक हो तो 10000/– प्रति अतिरिक्त पशु धरोहर राशि और जमा करवानी होगी ।
3. दिनांक 15.04.2021 को सुबह 11.00 बजे होने वाली नीलामी के पशुओं को संस्थान में दिनांक दिनांक 12–13 अप्रैल, 2021 को सुबह 9.30 बजे से सांय 3.00 बजे तक देखा जा सकता है।
4. पशुओं की नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता दिनांक 12–13 अप्रैल, 2021 को सुबह 10 बजे से सांय 4.00 बजे तक **<u>डिमांड ड्राफ्ट/नकद अथवा संस्थान के खाते में ऑनलाइन धरोहर राशि</u>** जमा करवा कर हिस्सा ले सकते है।
5. **<u>बोलीदाता द्वारा जमा धरोहर राशि जो कि आर.टी.जी.एस./ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा की गई धरोहर राशि उनके बैंक खाते में ही वापिस की जायेगी। बोलीदाता द्वारा नकद जमा धरोहर राशि उनको उसी दिन बोली समाप्त होने के पश्चात नकद वापिस कर दी जायेगी।</u>**
6. **धरोहर राशि जमा करवाने का अंतिम समय दिनांक 13.04.2021 को सांय 4 बजे तक है।**
7. ऑनलाईन जमा राशि का विवरण दिनांक 13.04.2021 को सांय 4.30 बजे तक संस्थान को यू.टी. आर. के विवरण व आधार कार्ड की प्रति सहित ईमेल (Rajesh.Kumar1@icar.gov.in) के माध्यम से अवगत करवाना अनिवार्य है।
8. बोलीदाता को संलग्न फोरमैट में अपना बैंक का विवरण भी देना अनिवार्य है।
9. बोलीदाता जिन्होंने आनॅलाईन धरोहर राशि संस्थान के खाते में जमा करवाई है वे आनॅलाईन जमा किये गये विवरण की एक प्रति व अपना आधार कार्ड की प्रति दिखा कर दिनांक 15.04.2021 को सुबह 9.30 बजे रसीद/पर्ची बोली में भाग लेने हेतु कार्यालय से ले सकते है।
10. यदि बोलीदाता के नाम से कोई पशु छूटता है तो बोली दी गई कीमत को 5 दिन के अन्दर **<u>डिमांड ड्राफ्ट अथवा संस्थान के खाते में RTGS/NEFT/नकद जमा करवाने होगें।</u>** संस्थान के खाते का विवरण निम्नलिखित है:
    Name of Bank: SBI, NGM, Hisar, A/c No. 10440797010, IFSC Code: SBIN0005700
11. यदि पशु बोली से 5 दिन के अन्दर नही ले जाया जायेगा तो 200/– प्रति दिन प्रति पशु अतिरिक्त चार्ज लिया जायेगा जो अधिकतम 10 दिन तक मान्य होगा।
12. यदि 10 दिन के बाद तक बोलीदाता पशु ले जाने में असमर्थ रहता है तो बोली रद्द समझी जायेगी व जमा की गई धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. नीलामी में पशु छुड़वाने पर पूरी राशि जमा करवाने के उपरान्त पशु को बाहर ले जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी से गेट पास लेना होगा। गेट पास तथा पशु के कान का नंबर अंकित रसीद पर होने से ही पशु बाहर ले जाने दिया जायेगा।
14. पशु जहॉं है जैसा है के आधार पर बोली की जायेगी कोई फेर बदल मान्य नही होगा।
15. ताजा ब्याही भैंस के साथ उसका नवजात कटड़ा/कटड़ी उसी स्थिति में दिया जायेगा जब वह नीलामी सूची में दिखाया गया होगा ।
16. पशुओं की संख्या घट/बढ़ सकती है।
17. किसी भी पशु को अन्तिम बोली पर छोडने या न छोड़ने का अधिकार कमेटी का होगा।
18. बोली में पशु छुड़वाने व बोली की पूरी कीमत जमा करवाने के बाद पशु को गाड़ी में लोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।
19. पशु को गाड़ी में लोड़ करने की जिम्मेंवारी बोली दाता की होगी ।
20. करोना महामारी के कारण सभी बोलीदताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखेगें। सभी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे मास्क अपने स्तर पर पहनना सुनिश्चित करेगें।
21. कमेटी द्वारा पशु की नीलामी छोड़ने के बाद किसी भी बोली को स्वीकार अथवा रद्द करने तथा किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास आरक्षित है जो सर्वमान्य होगा।

रवि 5/4/21

प्रशासनिक अधिकारी